



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59339

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या - 11285 वर्ष 2026

विनोद कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह एवं एक अन्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र, परिवाद वाद संख्या 7521 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 138 एन.आई. (परक्राम्य लिखत) अधिनियम, थाना नगर, जनपद बस्ती की संपूर्ण कार्यवाहियों के साथ-साथ दिनांक 04.04.2023 के तलबी (समन) आदेश को निरस्त करने हेतु दाखिल किया गया है।
3. परिवाद में यह आरोप है कि आवेदक और विपक्षी संख्या 2 रिश्तेदार हैं और आवेदक ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में एक चेक जारी किया था। जब चेक को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो वह अनादृत हो गया, अतः यह वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक और विपक्षी संख्या 2 रिश्तेदार हैं और उसने कोई चेक जारी नहीं किया था। परिवाद में लगाया गया आरोप असत्य और निराधार है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तलबी आदेश न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के बिना पारित किया गया है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पूर्वोक्त वाद की कार्यवाहियों को निरस्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।
6. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् उक्त आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश न्यायोचित और उचित है तथा यह किसी भी अवैधता और त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। यह स्पष्ट है कि विचारण की कार्यवाहियां चल रही हैं, साक्षियों का परीक्षण किया जा रहा है और कार्यवाहियां समाप्ति के कगार पर हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क तथ्य के विवादित प्रश्न हैं जिनका इस स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार उर्फ अभय पटेल एवं एक अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में संस्थित वाद में निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र एवं अन्य में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चेक धारक ने धारा 138 में संदर्भित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन हेतु प्राप्त किया था और, इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाहियों के प्रारंभिक स्तर पर अभियुक्त की दलील को ग्रहण करने और स्वीकार करने तथा परिवाद को निरस्त करने में न्यायोचित नहीं था।

15. इसी प्रकार, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा आज्ञापक उपधारणा में विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व की विद्यमानता सम्मिलित है। यह संप्रेक्षण किया गया था कि ऐसी उपधारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को विचारण में अपना बचाव अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. राजेशभाई मूलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को प्रश्नगत चेक के किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किए जाने के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक परिवाद को निरस्त नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से तब, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 चेक के ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किए जाने के संबंध में एक वैधानिक उपधारणा उत्पन्न करती है।

17. रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत एक विधिक उपधारणा विद्यमान है, तो परिवाद को निरस्त करने के लिए विचारण-पूर्व स्तर पर तथ्य के किसी विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक संप्रेक्षण नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, विधि का यह प्रतिपादन अत्यंत स्पष्ट करता है कि न्यायालय को विचारण-पूर्व स्तर पर परिवाद को निरस्त करने का अनुतोष प्रदान करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में हो, विशेष रूप से विधिक उपधारणा के कारण, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए तथ्यात्मक बचाव को एक निर्विवाद गुणवत्ता का होना चाहिए, ताकि परिवाद में लगाए गए आरोपों को पूर्णतः असत्य सिद्ध किया जा सके।

18. विचारण-पूर्व स्तर पर आपराधिक प्रक्रिया को विफल करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक स्तरों पर कार्यवाहियों को निरस्त करने से पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिले बिना ही मामले का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाएगा और तब इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच अर्थात् विचारण न्यायालय तात्त्विक साक्ष्य का मूल्यांकन करने से वंचित हो जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में एक अनुचित लाभ दिया जा सकता है। साथ ही, विधिक उपधारणा के कारण, जब अपीलार्थी द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर कोई विवाद नहीं किया गया है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन परिवादी / अभियोजन के पक्ष में है, क्योंकि अभियुक्त के पास उपधारणा का खंडन करने के लिए विचारण के दौरान बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. इस प्रकार की स्थिति में, समन (तलबी) आदेश के स्तर पर परिवादी को वाद से बाहर करना, जबकि तथ्यात्मक विवाद पर विचारण न्यायालय द्वारा अभी भी बहस और विचार किया जाना शेष है, हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया प्रभाव के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा अवधारण के अधीन यहां आपराधिकता के तत्व को पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाहियां प्रारंभिक स्तर पर हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया को विफल करना न्यायोचित नहीं है।”

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त वाद का निर्णय करते समय, प्रस्तर 13 और 18 में यह संप्रेक्षण किया है कि:

“13. तथापि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता में यह परीक्षण करने की कार्यवाही की कि क्या चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन हेतु जारी किया गया था। हमारे विचार में, ऐसा अभ्यास अनावश्यक था क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत, यह उपधारणा है कि चेक के धारक ने धारा 138 में संदर्भित प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन हेतु प्राप्त किया था। इस उपधारणा का विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा खंडन किया जा सकता है। प्रबल कारण से, उक्त विषय पर उचित रूप से या तो विचारण में, या बाद में विचारण की समाप्ति पर, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा सकता है।”

“18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने विचारण-पूर्व स्तर पर, ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु चेक जारी किए जाने के संबंध में एक विस्तृत जांच करके त्रुटि की है। हमारी राय में, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में ऐसा अभ्यास उचित नहीं था, विशेष रूप से तब जब परिवाद के आरोपों से यह प्रकट होता था कि चेक दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था। चूंकि परिवाद के आरोपों से एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है, इसलिए हमारे विचार में, विचारण-पूर्व स्तर पर उच्च न्यायालय द्वारा न तो तलबी आदेश और न ही परिवाद को निरस्त किया जा सकता था।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

मीनू सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।